

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- तुलसीपट्टी वि0ख0- सीध जनपद- अदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक...18/9/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	रघुराज	अनु0	अध्यक्ष	8756255644
2	शशि सिंह	सामान्य	सचिव	9889601560
3	कान्ती देवी	अनु0	कोषाध्यक्ष	7355561737
4	भुवनी देवी	11	सामान्य सदस्य	9728273345
5	सुरज	11	सामान्य सदस्य	8173911475
6	रन्धीत कुमाल	पिछड़ा	सामान्य सदस्य	7388255121
7	अफेई लाल	पिछड़ा	सामान्य सदस्य	9935534537
8	लविला देवी	सामान्य	सामान्य सदस्य	7800983441
9	शिवराम	पिछड़ा	सामान्य सदस्य	962187122
10	रामकुमार	पिछड़ा	सामान्य सदस्य	7054739834
11	मालती देवी	पिछड़ा	सामान्य सदस्य	
12	शारिता	सामान्य	सामान्य सदस्य	
13	शफेअं शुक्ल	सामान्य	सामान्य सदस्य	
14	अच्यम	11	सामान्य सदस्य	
15	राजन दुबे	11	सामान्य सदस्य	

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



*(Handwritten signature)*

- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरः

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगुठों
1	रुरुरा	अध्यक्ष	रुरुरा
2	जानेद सिंह	सचिव	जानेद सिंह
3	माती देवी	कोषाध्यक्ष	माती देवी
4	भुवनी देवी	सामान्य सदस्य	भुवनी देवी
5	सुरेज	सामान्य सदस्य	सुरेज
6	र-जीत शर्मा	सामान्य सदस्य	र-जीत शर्मा
7	मनोदिलाल गुप्ता	सामान्य सदस्य	मनोदिलाल गुप्ता
8	वधिता देवी	सामान्य सदस्य	वधिता देवी
9	शिवशाम	सामान्य सदस्य	शिवशाम
10	राम कुमार	सामान्य सदस्य	राम कुमार
11	मालती देवी	सामान्य सदस्य	मालती देवी
12	सरिता	सामान्य सदस्य	सरिता
13	राकेश कुमर	सामान्य सदस्य	राकेश कुमर
14	राजन	सामान्य सदस्य	राजन
15	राजन	सामान्य सदस्य	राजन



8